देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ...1095/भू अ० दिनांक : 17/12/18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—रकसमुता, थाना—देवघर, थाना सं०—365, अंचलः—देवघर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर— चांदडीह—तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनर्निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—रकसमुता, थाना—देवघर, थाना सं०—365, अंचल—देवघर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.57 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	5	रैयती	बाड़ी—2	0.06	नाजीर मियां वो मटरू मियां वो बुधन मियां पे० स्व० इमाजली मियां वो सफरूद्दीन मियां पे० स्व० रूसन मियां वो रसुल मियां वो मजीद मियां, पे० स्व० लटु मियां वो अब्दुल मियां पे० स्व० चुटो मियां अंश समान।	मौजा डोमन टांड़, थाना संख्या—333	मौजा बाघमारा, थाना संख्या —364	अर्जित दाग का अंश	रास्ता नं० 107
2	4	14	रैयती	बाड़ी—1	0.04	मझन बीबी बल्द रोहन मियां (ज०रै०)				
3	4	15	रैयती	मकान में सहन	0.03	तथैव।				
4	4	14	रैयती	बाड़ी—1	0.04	तथैव।				
5	4	108	रैयती	बाड़ी—1	0.06	तथैव।				
6	5	10	रैयती	बाड़ी—2	0.04	हदीश मियां वो नान्हों मियां वो शलीम मियां वो जालीम मियां पे० स्व० बहादुर मियां वो रजाबुल अंसारी वो आबिद अंसारी वो रकीब अंसारी पे० स्व० सदीक मियां वो करीम मियां वो रहीम मियां पे० स्व० उगन मियां वो सफीक अंसारी वो रफीक अंसारी पे० स्व० हमीद मियां अंश समान सा० देह।				
7	5	106	रैयती	बाड़ी—1	0.04	तथैव।				
8	6	11	रैयती	बाड़ी—2	0.08	इन्द्रमान प्रसाद अरूण (मूल रैयत)				
9	6	110	रैयती	बाड़ी—2	0.18	तथैव।				
				कुल रकवा—	**0.57**					

यह अधिसूचना भू—अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम—2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

13-12-2018

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

13/12/18
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर 13/12/18

13-12-2018
अपर समाहर्त्ता
देवघर

13/12/18
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1095/भू अ०, देवघर, दिनांक 17/12/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी <u>असाधारण/पाक्षिक</u> अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

13/12/18
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
13/12/18

13-12-2018
अपर समाहर्त्ता
देवघर

13/12/18
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।